

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाते हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1		3	4	5	6	
1	रदन - सिडि के ट के	781	0.03	रदन - केनरा के ट के	781	0.03
Ac	शाखा - निमोद	782	1.91	शाखा - निमोद	782	1.91
31	शेख अहमद	1013	0.96		1013	0.96
		785			785	

क्रमांक :- 21/12/2021/PGKSA/2021/50
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. उप तहसीलदार, मौलासर

विधि प्रचार प्रहारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडयाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :- 06/10/2021

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

विधि प्रचार प्रहारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडयाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर